न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 56/2010

1 मृतक हनुमान पुत्र श्योनाथ।
2 देशराम पुत्र श्योनाथ समस्त जाति जाट निवासीगण नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 श्रीमती मन्नी पुत्री श्योनाथ पत्नी ताराचन्द जाति जाट निवासी कालवा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 लक्ष्मीनारायण पुत्र रिछपाल।
2 बजरंग पुत्र रिछपाल।
3 बलवीर पुत्र रिछपाल समस्त जाति जाट निवासीगण नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3/1 हरबाई पत्नी रिछपाल।
4 राजेन्द्र पुत्र रिछपाल समस्त जाति जाट निवासीगण नाजपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
5 ज्ञानीराम पुत्र मलुताराम।
6 रामावतार पुत्र घड़सीराम।
7 दयानन्द पुत्र घड़सीराम।
8 श्रीमती झीमल पत्नी घड़सीराम।
8/1 सन्तोष पुत्री घड़सीराम।
8/2 सुमित्रा पुत्री घड़सीराम।
8/3 दड़िया पुत्री घड़सीराम।
8/4 धर्मा पुत्री घड़सीराम।
8/5 मुन्नी पुत्री घड़सीराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

सत्यमेव जयते
राजस्थान भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

9 दुलीचन्द पुत्र गणपत।
10 विजयसिंह पुत्र अड़ीसाल।
11 विक्रम सिंह पुत्र अड़ीसाल।
12 विरेन्द्र सिंह पुत्र अड़ीसाल।
13 सुरेन्द्र सिंह पुत्र भूरिया।
14 मातादीन पुत्र भूरिया।
15 संतलाल पुत्र श्योकरण।
15/1 श्रीमती सन्तोष पत्नी संतलाल।
15/2 राजेश पुत्र संतलाल।
15/3 रणवीर पुत्र संतलाल समस्त जाति जाट निवासीगण नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
15/4 श्रीमती मुन्नी आयु 46 वर्ष पुत्री संतलाल स्त्री रामनिवास जाति जाट निवासी बाया की ढ़ाणी पोस्ट सिरोही माली तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
16 सीताराम पुत्र श्योकरण।
17 मृतक श्रीमती मोहरली पत्नी श्योकरण।
17/1 विक्रम पुत्र श्योकरण समस्त जाति जाट निवासीगण नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
17/2 सुन्दर आयु 63 वर्ष पुत्री श्योकरण स्त्री शिशपाल जाति जाट निवासी भूरीवास तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
17/3 श्रीमती कमला आयु 47 वर्ष पत्नी छोटुराम।
17/4 श्रीमती इन्द्रा आयु 43 वर्ष पत्नी महीपाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बाया पोस्ट सिरोही माली तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
18 घड़सीराम पुत्र केशुराम।
18/1 श्रीमती पतासी आयु 76 वर्ष पत्नी घड़सीराम।
18/2 धर्मपाल आयु 40 वर्ष पुत्र घड़सीराम समस्त जाति जाट निवासीगण नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनू)

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

18/3 श्रीमती सन्तोष आयु 47 वर्ष पत्नी बुधराम।
18/4 श्रीमती रोशनी आयु 43 वर्ष पत्नी सतवीर समस्त जाति जाट निवासीगण चीमा का बास तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
19 लीलाराम पुत्र केशुराम।
20 भीखाराम पुत्र सांवलराम।
20/1 सतवीर पुत्र भीखाराम।
20/2 राजेन्द्र पुत्र भीखाराम।
20/3 श्रीमती बाई पुत्री भीखाराम।
20/4 श्रीमती बाला पुत्री भीखाराम।
20/5 श्रीमती अंजना पुत्री भीखाराम समस्त जाति जाट निवासीगण नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
20/6 कुलदीप आयु 13 वर्ष पुत्र बलबीर।
20/7 संदीप आयु 7 वर्ष पुत्र बलबीर समस्त जाति जाट निवासीगण नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू नाबालिगान जरिये वली सतवीर पुत्र भींखाराम जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
21 रामस्वरूप पुत्र सांवता।
22 देशराम पुत्र सांवता।
23 धन्नाराम पुत्र निहाला।
23/1 श्रीमती शान्ती देवी पत्नी धन्नाराम।
23/2 विरेन्द्र आयु 30 वर्ष पुत्र धन्नाराम।
23/3 सरोज आयु 26 वर्ष पुत्री धन्नाराम।
23/4 सुमन आयु 22 वर्ष पुत्री धन्नाराम।
24 हरफुल पुत्र निहाला।
24/1 श्रीमती किताबो आयु 55 वर्ष पत्नी हरफुल।
24/2 ओमप्रकाश आयु 30 वर्ष पुत्र हरफुल।
24/3 राजकंमार उर्फ सुमन आयु 25 वर्ष पुत्र हरफुल समस्त जाति जाट निवासीगण नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनू)

24/4 श्रीमती विजयन्ता आयु 35 वर्ष पुत्री हरफुल पत्नी विकास जाति जाट निवासी ढ़ोषी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

25 हरिसिंह पुत्र निहाला।

25/1 श्रीमती सुरजी पत्नी हरिसिंह।

25/2 हवासिंह पुत्र हरिसिंह।

25/3 सज्जनसिंह पुत्र हरिसिंह।

25/4 इन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

25/5 श्रीमती फुलपति पत्नी रामेश्वर।

25/6 श्रीमती सन्तोष पत्नी होशियार सिंह।

25/7 श्रीमती सुमित्रा पत्नी करणसिंह।

25/8 श्रीमती कमला पत्नी वीरसिंह।

25/9 श्रीमती लीला पत्नी लीलाधर समस्त जाति जाट निवासीगण बाया की ढ़ाणी तन सिरोही तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

26/1 मृतक सरदाराराम पुत्र श्योनाथ।

26/1/1 श्रीमती मनकोरी पत्नी सरदाराराम।

26/1/2 दयाराम पुत्र सरदाराराम।

26/1/3 वेदपाल पुत्र सरदाराराम समस्त जाति जाट निवासीगण नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

26/1/4 श्रीमती मन्नी स्त्री सुमेरसिंह।

26/1/5 श्रीमती कमला स्त्री विजयसिंह समस्त जाति निवासीगण बोका तहसील व जिला रेवाड़ी हाल निवासी नाजपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

26/1/6 श्रीमती भतेरी स्त्री सतपाल।

26/1/7 श्रीमती मिन्टु स्त्री सरजीत समस्त जाति जाट निवासीगण मकसुसपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा हाल निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

26/2 श्रीमती सदाकौर पुत्री श्योनाथ पत्नी बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

26/3 श्रीमती सहाबकोर पुत्री श्योनाथ पत्नी परसादाराम जाति जाट निवासी अण तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा।

26/4 श्रीमती पतासी पुत्री श्योनाथ पत्नी दोदराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनू दावा उनवानी लक्ष्मीनारायण वगैरह बनाम देशराम वगैरह दावा घोषणा दावा संख्या 203/2001

उपस्थिति :

1. श्री जगदीश, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 203/2001 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

मुख्य अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नालपुर तहसील खेतड़ी की सरहद में जमीन खसरा नम्बर 544 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 546 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 547 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 548 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 549 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 550 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 551 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 554 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल रकबा 2.65 हैक्टेयर के बाबत रेस्पोडेंटस नम्बर 1 से 4 ने अदालत मातहत में दावा पेश किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ने वादीगण/रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 4 के दावे में दिनांक 31.05.2010 को निर्णय व डिक्री पारित कर आदेश दिया कि उक्त जमीन के खातेदारान अपीलांट नम्बर 1 हनुमान हिस्सा 1/12 व अपीलांट नम्बर 2 व 3 हिस्सा 1/6 की जगह वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने पूर्वजो से भूमियां प्राप्त होने का कथन कर दावा किया है। दावे में वादीगण के पूर्वजों ने विवादित भूमियां किससे व कब प्राप्त की उसका कोई अंकन नही है। विचाराधीन निर्णय में 2.65 हैक्टेयर भूमि की डिक्री जारी की गई है जबकि गत खसरा नम्बर से हाल रकबा 2.43 हैक्टेयर ही होता है। दिनांक 07.07.2001 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपीलांट हनुमान को भूमि विक्रय कर दी। इस तथ्य का कथन जवाब दावे में स्पष्ट रूप से किया गया है दावा 26.07.2001 को प्रस्तुत किया गया है। इस वाद में हनुमान को पक्षकार नही बनाया गया है। वादीगण ने दावे को दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य से साबित नही करवाया है। वादीगण यह स्पष्ट करने में सफल नही रहे है कि उनको टेनेन्सी किस प्रकार प्राप्त हुई। वादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

ने न तो लगान की रसीदे पेश की है एव न ही कब्जा साबित करवाया है। विधि अनुसार घोषणा का दावा कब्जे के अभाव में डिकी नही किया जा सकता है। वादीगण के कब्जे की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। दावे के विचारण के दोरान प्रतिवादी संख्या 18 एवं प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु हो गई इनके कायम मुकाम की कोई कार्यवाही वादीगण की और से नही की गई है। ऐसी स्थिति में दावा ही अबैट हो चुका था अत विचाराधीन निर्णय व डिकी मृत व्यक्ति के विरूद्व होने से नलिटी है। विचारण न्यायालय में रिछपाल की पुत्रियों को भी पक्षकार नही बनाया गया है नोन जोइन्डर ऑफ पार्टीज के नुक्स के कारण भी वाद खारिज योग्य है। विवादित भूमि संवत 2012 से 2015 में माफी की थी जो बाद में खालसा हुई है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिकी पारित किया है। ग्राम पंचायत को विधि अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार ही नही है। विचारण न्यायालय ने इन पर कोई विचार नही किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. (रेव.)2018 पेज 75, आर.एल.डब्ल्यू. 2014 (2) (एस.सी.) पेज 1453, आर.आर.डी. 2018 पेज 433, आर.बी.जे. 2018 (25) पेज 402 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि संवत 2013 से 2016, 2022 से 2025 की जमाबंदी में हमारे पिता का नाम दर्ज है। इससे पूर्व की गिरदावरियों में हमारे पिता का नाम दर्ज है। संवत 2026 की जमाबंदी में रिछपाल पुत्र श्योचन्द का नाम आया है यह अंकन रिछपाल पुत्र भोला को काटकर किया गया है। यह अंकन बिना किसी आदेश के, बिना किसी अधिकारिता किया गया है। इसके उपरान्त रिछपाल के विधिक वारिसान रिकार्ड पर गलत रूप से दर्ज होते आये है। अपीलांट द्वारा धमकी दिये जाने पर जानकारी होने पर दावा किया है। हमारा कब्जा काश्त साबित है ग्राम पंचायत के सरंपच ने इसकी पुष्टि की है। अपीलांट हनुमान केता था जो स्वंय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (केम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में आया एवं डी.डब्ल्यू 2 के रूप में साक्ष्य देकर गया है। यह स्वंय पक्षकार बन सकता था। दौराने दावा पक्षकारों के मृत्यु की सूचना प्राप्त नही हुई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी ने यह आपति भी नही की है। अब अपील के स्तर पर इसे नही उठाया जा सकता है। अपील में मृतक हणमान के वारिसान का अंकन अपीलांट ने भी नही किया है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर बाद सुनवाई प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रकरण में संवत 2013 से 2016, 2022 से 2025 की जमाबंदी में वादीगण के पिता का नाम दर्ज है। इससे पूर्व की गिरदावरियों में वादीगण के पिता का नाम दर्ज है। संवत 2026 की जमाबंदी में रिछपाल पुत्र श्योचन्द का नाम आया है यह अंकन रिछपाल पुत्र भोला को काटकर किया गया है। यह अंकन बिना किसी आदेश के, बिना किसी अधिकारिता किया गया है। इसके उपरान्त रिछपाल के विधिक वारिसान रिकार्ड पर गलत रूप से दर्ज होते आये है। अपीलांट द्वारा धमकी दिये जाने पर जानकारी होने पर दावा करने का कथन वादी ने किया है। इसका खण्डन अपीलांट ने नही किया है वादीगण का कब्जा काश्त साबित है ग्राम पंचायत के सरंपच ने इसकी पुष्टि की है। अपीलांट हनुमान केता था जो स्वंय न्यायालय में आया एवं डी.डब्ल्यू 2 के रूप में साक्ष्य देकर गया है। यह स्वंय पक्षकार बन सकता था। दौराने दावा पक्षकारों के मृत्यु की सूचना प्राप्त नही हुई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी ने यह आपति भी नही की है। अब अपील के स्तर पर इसे नही उठाया जा सकता है। अपील में मृतक हणमान के वारिसान का अंकन अपीलांट ने भी नही किया है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर बाद सुनवाई प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार उभयपक्ष को सुनकर प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर